

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: संकल्प ::-

विषय :- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आलोक में समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत मुख्यालय (निगम)/ जिला/ अनुमंडल स्तर पर कुल-390 पदों के सृजन की स्वीकृति।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने एवं उन्हें घरेलू हिंसा से बचाव में सहयोग प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005" पूरे देश में लागू है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को किसी प्रकार के हिंसा से पीड़ित होने पर उनके अधिकारों का प्रभावकारी संरक्षण करना है।

2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा-8(i) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता थी।

3. प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-28.03.2025 की बैठक की कार्यवाही में किये गये अनुशंसा के दृष्टिगत समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के आलोक में मुख्यालय (निगम)/ जिला/ अनुमंडल स्तर पर संरक्षण पदाधिकारी एवं अन्य आवश्यक पद (कुल-390 पदों) को निम्नवत सृजित किया जाता है:-

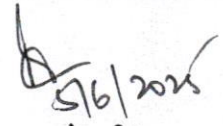
क्र०	पदनाम	वेतनस्तर	पदों की संख्या
(क) मुख्यालय (निगम) स्तर पर :			
1	राज्य संरक्षण पदाधिकारी	लेवल-12	01
2	संरक्षण पदाधिकारी	लेवल-11	04
3	उच्चवर्गीय लिपिक	लेवल-04	02
4	निम्नवर्गीय लिपिक	लेवल-02	04
(ख) जिला स्तर पर :			
1	जिला संरक्षण पदाधिकारी	लेवल-11	38
2	निम्नवर्गीय लिपिक	लेवल-02	38
(ग) अनुमंडल स्तर पर :			
1	अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी	लेवल-09	101
2	उच्चवर्गीय लिपिक	लेवल-04	101
3	निम्नवर्गीय लिपिक	लेवल-02	101
कुल पद-			390

4. उपर्युक्त प्रस्तावित पद सृजन के फलस्वरूप कुल वार्षिक व्यय भार रुपये 27,43,52,940/- (सताईस करोड़ तैतालीस लाख बावन हजार नौ सौ चालीस रुपये) मात्र होगा जिसका विकलन वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नये बजट शीर्ष के अंतर्गत किया जायेगा (अनुलग्नक-1)।

5. समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-4213 दिनांक-20.05.2025 में सन्निहित उक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.06.2025 में मद संख्या-22 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(बन्दना प्रेयषी)

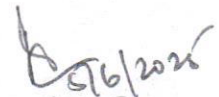
सरकार के सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

पटना, दिनांक- 6/6/2025

ज्ञापांक :- स0क0स्था0(मु0)-22/2023-4558

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



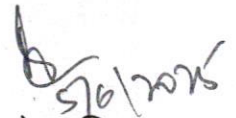
सरकार के सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

पटना, दिनांक- 6.6.2025

ज्ञापांक :- स0क0स्था0(मु0)-22/2023-4558

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/ समाज कल्याण निदेशालय/ सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/ महिला एवं बाल विकास निगम/ माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

अनुलग्नक-I

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यालय(निगम)/जिला/अनुमंडल स्तर पर नवगठित पदों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुमानित बजट की विवरणी ---

(क) मुख्यालय (निगम) स्तर पर

(राशि रु० में)

क्र	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अनुमानित व्यय विवरणी (01 वर्ष के लिए मूल वेतन + महँगाई भत्ता + मकान भाडा भत्ता + चिकित्सा भत्ता)	अभ्युक्ति
1	राज्य संरक्षण पदाधिकारी	01	Level-12	$(78800 + 41764 + 15760 + 1000 = 137324.00 \times 12) = 16,47,888.00$	अनुमानित व्यय का निर्धारण पुनरीक्षित वेतन के मूल वेतन के आधार पर, मकान भाडा भत्ता मूल वेतन के 20 प्रतिशत एवं महँगाई भत्ता मूल वेतन के 53 प्रतिशत एवं चिकित्सा भत्ता 1000 रु० प्रति माह की दर से आकलित की गई है।
2	संरक्षण पदाधिकारी	04	Level-11	$(67700 + 35881 + 13540 + 1000 = 118121.00 \times 12 \times 4) = 56,69,808.00$	
3	उच्चवर्गीय लिपिक	02	Level-04	$(25500 + 13515 + 5100 + 1000 = 45115.00 \times 12 \times 2) = 10,82,760.00$	
4	निम्नवर्गीय लिपिक	04	Level-02	$(19900 + 10547 + 3980 + 1000 = 35427.00 \times 12 \times 4) = 17,00,496.00$	
		11	कुल योग :- 1,01,00,952.00		

(ख) जिला स्तर पर

(राशि रु० में)

क्र	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अनुमानित व्यय विवरणी (01 वर्ष के लिए मूल वेतन + महंगाई भत्ता + मकान भाडा भत्ता + चिकित्सा भत्ता)	अभ्युक्ति
1	जिला संरक्षण पदाधिकारी	38	Level-11	$(67700 + 35881 + 6770 + 1000 = 111351.00 \times 12 \times 38) = 5,07,76,056.00$	अनुमानित व्यय का निर्धारण पुनरीक्षित वेतन के मूल वेतन के आधार पर, मकान भाडा भत्ता मूल वेतन के 10 प्रतिशत एवं महंगाई भत्ता मूल वेतन के 53 प्रतिशत एवं चिकित्सा भत्ता 1000 रु० प्रति माह की दर से आकलित की गई है।
2	निम्नवर्गीय लिपिक	38	Level-02	$(19900 + 10547 + 1990 + 1000 = 33437.00 \times 12 \times 38) = 1,52,47,272.00$	
		76	कुल योग :- 6,60,23,328.00		

(ग) अनुमंडल स्तर पर

(राशि रु० में)

क्र	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अनुमानित व्यय विवरणी (०१ वर्ष के लिए मूल वेतन + मंहगाई भत्ता + मकान भाडा भत्ता + चिकित्सा भत्ता)	अभ्युक्ति
1	अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी	१०१	Level-09	(53100 + 28143 + 5310 + 1000 = 87553.00 X 12 X 101) = 10,61,14,236.00	अनुमानित व्यय का निर्धारण पुनरीक्षित वेतन के मूल वेतन के आधार पर, मकान भाडा भत्ता मूल वेतन के १० प्रतिशत एवं मंहगाई भत्ता मूल वेतन के ५३ प्रतिशत एवं चिकित्सा भत्ता १००० रु० प्रति माह की दर से आकलित की गई है।
2	उच्चवर्गीय लिपिक	१०१	Level-04	(25500 + 13515 + 2550 + 1000 = 42565.00 X 12 X 101) = 5,15,88,780.00	
3	निम्नवर्गीय लिपिक	१०१	Level-02	(19900 + 10547 + 1990 + 1000 = 33437.00 X 12 X 101) = 4,05,25,644.00	
		३०३	कुल योग :- १९,८२,२८,६६०.००		

समेकित कुल योग (क + ख + ग) :-

$1,01,00,952.00 + 6,60,23,328.00 + 19,82,28,660.00 = 27,43,52,940/-$

(सताईस करोड़ तैतालीस लाख बावन हजार नौ सौ चालीस)

विशेष कार्य/प्रदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग